कार्यालय आयुक्त,आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश
(द्वितीय मंजिल सतपुडा भवन,भोपाल)

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 10 अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्तियॉ देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । ये छात्रवृत्तियां शोध उपाधि उपरांत अध्ययन, शोध उपाधि , स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि हेतु देय हैं ।

(1) पात्रता की शर्ते :–

| कमांक | उपाधि | अनुसूचित जनजाति |
|---|---|---|
| अ. | शोध उपरान्त अध्ययन | अभ्यर्थी संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ अथवा समतुल्य ग्रेड में) स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित विषय में अनुभव के साथ शोध उपाधि) |
| ब. | शोध उपाधि | अभ्यर्थी संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ अथवा समतुल्य ग्रेड में ) स्नातकोत्तर परीक्षा उतीर्ण एवं संबंधित विषय में 2 वर्ष का अध्ययन शोध / व्यवसयायिक अनुभव या एम. फिल .। |
| स. | स्नातकोत्तर | अभ्यर्थी स्नातक उपाधि द्वितीय श्रेणी (न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक के साथ ) या उसके समतुल्य ग्रेड में उतीर्ण |
| द. | स्नातक | अभ्यर्थी हायर सेकेण्डरी द्वितीय श्रेणी (न्यतृतम 55 प्रतिशत अंक के साथ ) या उसके समतुल्य ग्रेड में उतीर्ण |

(2) आयु :– अभ्यर्थी की आयु आवेदन दिये जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी को 18 वर्ष से अधिक एवं 35 वर्ष से कम हो । विशेष प्रकरणों में अधिकतम आयु 10 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी ।

(3) आय सीमा :–नियोजित उम्मीदवार की अथवा उसके माता – पिता /अभिभावक की सभी स्त्रोतों से सकल आय 5.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

6. **वायुयान किराया** :—शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायु मार्ग से जाने एवं वापसी का न्यूनतम वायुमार्ग से एकॉनामी (साधारण) दर्जे का किराया ।

7. **स्थानीय यात्राः**— विमानपत्तन से अध्ययन के स्थान तक भारत से तथा भारत में निवास स्थान से विमानपत्तन तक जाने एवं वापसी द्वितीय श्रेणी का रेल अथवा बस किराया ।

8. **छात्रवृत्ति की अवधि** :— पाठ्यकम / शोध के पूरा होने अथवा निम्नांकित जो भी पूरी हो :—

क. शोध उपाधि उपरान्त अध्ययन — 1 1/2 (डेढ़ वर्ष )

ख. शोध उपाधि — 4 वर्ष (चार वर्ष )

ग. स्नातकोत्तर — 2 वर्ष (दो वर्ष )

ध. स्नातक — 3 वर्ष (तीन वर्ष )

(9) इसके अतिरिक्त शासन गजट में प्रसारित विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु नियम दिनांक 15.3.2003 की सभी शर्तो को अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण करनी होगी ।

(10) अनुसूचित जनजाति के आवेदन पत्र दिनांक 22 मार्च 2010 से आयुक्त आदिवासी विकास द्वितीय तल सतपुडा भवन भोपाल में उपलब्ध होगे तथा दिनांक 5 अप्रैल 2010 तक स्वयं अथवा पंजीयन डाक/स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा प्रस्तुत किया जावें ।

(11) शासकीय अथवा शासन के उपकमों में सेवारत अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्रस्तुत कर सकेंगे मगर उन्हें अग्रिम पत्र प्रस्तुत करने की आखिरी तिथि से एक माह के अन्दर नियोक्ता के माध्यम से भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा ।

12) आवेदन पत्र तथा योजना की विस्तृत शर्ते कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास, द्वितीय मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल में विज्ञापन जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि तक कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती हैं ।

आयुक्त
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश